

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:प 6(29)नविवि/3 /2004

जयपुर,दिनांक: -3 FEB 2015

आयुक्त,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:-ट्रक टर्मिनल अजमेर रोड प्रथम फेज के सम्बन्ध में ली गयी भूमे के काश्तकारो को नकद मुआवजे के बदले अपवाद स्वरूप 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने के क्रम में।

संदर्भ:- आपका अर्द्ध शासकीय पत्रांक जविप्रा/उपा.जोन-8/2014/3070
दिनांक 19.11.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि प्रकरण में अजमेर रोड पर ट्रक टर्मिनल बनाने हेतु प्रथम फेज में अवाप्त की गई भूमि के बदले काश्तकारो को नकद मुआवजे के एवज में अपवाद स्वरूप 25 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम अवधि 31.03.2015 तक बढ़ाई जाती है।

,भवदीय,



(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय